न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 164 / 2022 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022 / 268**

दायर दिनांक :– 02.09.2022 **निर्णय दिनांक :– 10.01.2025**

01. रूपीदेवी पुत्री केसाराम पत्नि भोमाराम जाति नायक निवासी लूणा तहसील घंटियाली
02. धूड़ीदेवी पुत्री केसाराम पत्नि घमूराम जाति नायक निवासी लूणा तहसील घंटियाली

—वादीगण

बनाम

01. जोगाराम पुत्र किसनाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
02. चुतराराम पुत्र किसनाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
03. शेरूदेवी पत्नि किसनाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
04. मेहनराम पुत्र छोगाराम जाति नायक निवासी पड़ियाल तहसील फलोदी जिला फलोदी
05. भोमाराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
06. पपूराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
07. बुधाराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
08. बीराराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
09. कालूराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
10. केसू पत्नि बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
11. कमला पुत्री बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
12. छोटा पुत्री बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
13. भीखादेवी पुत्री बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
14. शांति पुत्री बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
15. कोजाराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
16. जेठाराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
17. जीवणराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
18. प्रभूराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
19. मगाराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
20. सुगनी पत्नि मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
21. तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88,92ए,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आश्य का पेश किया कि सरहद ग्राम खारिया कानसिंह पटवार क्षेत्र घंटिरूाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 32 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि वादीगण की कब्जा काश्त की पैतृक खातेदारी अधिकारों की स्थित है। जिसे आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया जावेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के अपने पिता केसाराम से विरासत में प्राप्त भूमि है वादीगण के पिता केसाराम पुत्र छोगाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। केसाराम पुत्र छोगाराम की वृद्वावस्था व बीमार हालत इन्द्रियों की अवस्था में होने का नाजायज फायदा उठाकर केसाराम के जीते जी उनको मौखिक फौत होना बताकर राजस्व कर्मचारियों आदि से मिलावट कर जीवित खतेदार केसाराम का विरासत नामान्तरकरण पुत्रीयों वादीगण के मौजूद होते प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पिता एवं 3 के पति किसनाराम, प्रतिवादी संख्या 4 मोहनराम, प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 20 ने मिलीभगत कर विरासत नामान्तरकरण संख्या 88 ग्राम खारिया कानसिंह दिनांक 06.09.1998 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पिता एवं 3 के पति किसनाराम, प्रतिवादी संख्या 4 मोहनराम, प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9, 11 ता 14 के पिता एवं 10 के पति बाबूराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 20 के नाम खुलवाकर विधि विरूद्व स्वीकृत करवा लिया। नामान्तरकरण संख्या 88 ग्राम खारिया कानसिंह दिनांक 06.09.1998 स्वीकत करवाने से पूर्व हल्का पटवारी ने केसाराम पुत्र छोगाराम के प्रथम वर्ग के वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। छोगाराम की जायन्दा सन्ताने होने से प्रथम वर्ग की वंशावली अनुसार वादीगण केसाराम पुत्र छोगाराम की जायन्दा सन्ताने होने से प्रथम वर्ग की वारिसान है। इसलिये ग्राम खारिया कानसिंह पटवार क्षेत्र घंटियाली की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में केसाराम पुत्र छोगाराम के फौत होने पर वादीगण प्रत्येक का हिन्दू उत्तराधिकार विधि के अनुसार 1/2–1/2 हिस्सा पैतृक निहित हुआ, इसी हिस्से अनुसार वादीगण मौके पर कब्जा व काश्त में शांतिपूर्वक चली आ रही है तथा वादग्रस्त भूमि में काश्त द्वारा एवं प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग करती आ रही है। जिसमें आज दिन तक किसी ने दखलअंदाजी नहीं की है। इसी हिस्से अनुसार वादीगण वादग्रस्त काश्त भूमि में अपने अपने हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। जिस हेतु यह वाद करवाने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का प्रस्तुत है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन रजिस्टर्ड डॉक से तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी संख्या 1 रूपीदेवी के बयान पी.डब्लू–1, वादी संख्या 2 धूड़ीदेवी के बयान पी.डब्लू–2, प्रतिवादी संख्या 17 जीवणराम के बयान पी.डब्लू–3, प्रतिवादी संख्या 2 के बयान पी.डब्लू–4

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता वादी और साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है इसलिये वादी साक्ष्य बंद की गई।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि सरहद ग्राम खारिया कानसिंह पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 32 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि वादीगण की कब्जा काश्त की पैतृक खातेदारी अधिकारों की स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण के अपने पिता केसाराम से विरासत में प्राप्त भूमि है वादीगण के पिता केसाराम पुत्र छोगाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। केसाराम पुत्र छोगाराम की वृद्वावस्था व बीमार हालत इन्द्रियों की अवस्था में होने का नाजायज फायदा उठाकर केसाराम के जीते जी उनको मौखिक फौत होना बताकर राजस्व कर्मचारियों आदि से मिलावट कर जीवित खतेदार केसाराम का विरासत नामान्तरकरण पुत्रीयों वादीगण के मौजूद होते प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पिता एवं 3 के पति किसनाराम, प्रतिवादी संख्या 4 मोहनराम, प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 20 ने मिलीभगत कर विरासत नामान्तरकरण संख्या 88 ग्राम खारिया कानसिंह दिनांक 06.09.1998 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 के पिता एवं 3 के पति किसनाराम, प्रतिवादी संख्या 4 मोहनराम, प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 9, 11 ता 14 के पिता एवं 10 के पति बाबूराम तथा प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 20 के नाम खुलवाकर विधि विरूद्व स्वीकृत करवा लिया। नामान्तरकरण संख्या 88 ग्राम खारिया कानसिंह दिनांक 06.09.1998 स्वीकत करवाने से पूर्व हल्का पटवारी ने केसाराम पुत्र छोगाराम के प्रथम वर्ग के वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत करवा दिया। वंशावली अनुसार वादीगण केसाराम पुत्र छोगाराम की जायन्दा सन्ताने होने से प्रथम वर्ग की वारिसान है। इसलिये ग्राम खारिया कानसिंह पटवार क्षेत्र घंटियाली की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 32 रकबा 4.0469 हैक्टेयर में केसाराम पुत्र छोगाराम के फौत होने पर वादीगण प्रत्येक का हिन्दू उतराधिकार विधि के अनुसार 1/2–1/2 हिस्सा पैतृक निहित हुआ, इसी हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 2 व 17 ने अपने बयानों में भी कथन किये है कि वादीगण ही केसाराम की जायन्दा वारिसान है वादीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद सही पेश किया है।

अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 88 मौजा खारिया कानसिंह, वर्तमान जमाबंदी इत्यादि दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खारिया कानसिंह के खसरा नम्बर 32 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम दर्ज राजस्व रेकर्ड है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता केसाराम पुत्र छोगाराम के नाम दर्ज थी जो नामान्तरकण संख्या 88 से साबित है परन्तु केसाराम के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 88 के जरिये दर्ज की गई। दूसरे वादीगण केसाराम की

10/01/17
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

जायन्दा वारिसान होने से पैतृक भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जानी थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 20 के नाम दर्ज की गई जो विधि अनुरूप नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 व 17 ने अपने बयानों में भी स्वीकार किया है कि वादीगण ही केसाराराम के जायन्दा वारिसान है। वादीगण केसाराम की जायन्दा वारिसान होने से नामान्तरकण संख्या 88 को खारिज किया जाकर वादीगण को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण का वाद दस्तावेज से साबित होने से पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आलोक में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि मौजा खारिया कानसिंह के नामान्तरकरण संख्या 88 को खारिज किया जाता है। ग्राम खारिया कानसिंह के खसरा नम्बर 32 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर जिला फलोदी (राज.)

10/01/25

(सुखाराम पिण्डेल,आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01. रूपीदेवी पुत्री केसाराम पत्नि भोमाराम जाति नायक निवासी लूणा तहसील घंटियाली
02. धूड़ीदेवी पुत्री केसाराम पत्नि घमूराम जाति नायक निवासी लूणा तहसील घंटियाली

–वादीगण

बनाम

01. जोगाराम पुत्र किसनाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
02. चुतराराम पुत्र किसनाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
03. शेरूदेवी पत्नि किसनाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
04. मेहनराम पुत्र छोगाराम जाति नायक निवासी पड़ियाल तहसील फलोदी जिला फलोदी
05. भोमाराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
06. पपूराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
07. बुधाराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
08. बीराराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
09. कालूराम पुत्र बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
10. केसू पत्नि बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
11. कमला पुत्री बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
12. छोटा पुत्री बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
13. भीखादेवी पुत्री बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
14. शांति पुत्री बाबूराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
15. कोजाराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
16. जेठाराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
17. जीवणराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
18. प्रभूराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
19. मगाराम पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
20. सुगनी पत्नि मालाराम जाति नायक निवासी खारिया कानसिंह तहसील घंटियाली
21. तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् धारा 88,92ए,188 आर.टी.एक्ट **मुकदमा संख्या :– 164 / 2022**

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है

सहायक कलक्टर
(फलोदी)

एवं डिगरी दी जाती है कि मौजा खारिया कानसिंह के नामान्तरकरण संख्या 88 को खारिज किया जाता है। ग्राम खारिया कानसिंह के खसरा नम्बर 32 रकबा 4.0469 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार घंटियाली माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना करावे। नीचे

मुतालिक — बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक — फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.01.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।